21-6-18

वाद वादी/वादनी मदनलाल की और से अभिभाषक श्री S.P. शर्मा वकील उपस्थिति होकर पेश किया । रिपोर्ट सरिश्ता का अवलोकन किया गया । वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 23.6.18 को पेश हो। लोक अदालत केम्प-जालिमपुरा पेश हो।

23.6.18

पत्रावली लोक अदालत केम्प जालिमपुरा में पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण मजमें आम में उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से मजमें आम में इकबालिया जवाब प्रस्तुत हुआ तथा उपस्थित होकर वाद वादी डिकी किये जानें का निवेदन किया। वादी द्वारा वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट में प्रस्तुत कर ग्राम धनवों तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 91 रकबा 0.38 हे0, ख0नं0 96 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 544 रकबा 0.71 हे0, ख0नं0 557 रकबा 2.03 हे0 कुल किता 4 रकबा 3.18 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी नं0 2 ता 8 मीना जाति की महिला होनें के आधार पर नाम डिलीट किये जानें एवं वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किये जानें का निवेदन किया। मजमें आम में पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। विवादित आराजी के वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 8 सहखातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है तथा प्रतिवादी नं0 2 ता 8 नें अपना हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष में

मदनलाल

S.P. शर्मा एडवोकेट

नि.ठ. कैलीबाई

प्रेमबाई

उ.प्र. पार्वती

ममता मीणा

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	छोडनें की सहमति प्रकट की है। सहमति स्वरूप उभयपक्ष ने आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। चूंकि पक्षकारान् विवादित आराजी के सहखातेदार है तथा मीना जाति से है। वकील वादी द्वारा कथन किये गये है कि मीना जाति में पुरूष वारिस के होनें हुए महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं होते है, किन्तु उक्त कथन की पुष्टि के सम्बन्ध में वकील वादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे माना जावें कि मीना जाति में महिलाओं को पुरूष वारिस के होते हुए अधिकार प्राप्त नहीं होते है। फिर भी प्रतिवादी नं0 2 ता 8 ने अपनें स्वत्व वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष में छोडनें की सहमति प्रकट की है, जिससे राजकीय हानि होना संभाव्य है। लिहाजा वाद वादी उभयपक्ष की सहमति के आधार पर अंशतः स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम धनवां तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 91 रकबा 0.38 हे0, ख0नं0 96 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 544 रकबा 0.71 हे0, ख0नं0 557 रकबा 2.03 हे0 कुल किता 4 रकबा 3.18 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी नं0 2 ता 8 का नाम डिलीट किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 से नियमानुसार पंजीयन शुल्क वसूल कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। तदनुसार डिकी जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

नम्बर व तारीख
अहकाम जो कि
तामील हेतु
हुक्म की तामील
जारी हुए

डिक्री मुकदमा
(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प जालिमपुरा

उनवान

मदनपाल पुत्र कान्हा उर्फ कन्हैयालाल जाति मीना निवासी धनवां तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादी

बनाम

1. सतीश कुमार पुत्र मांगीलाल
2. प्रेम बाई बेवा मांगीलाल
3. केली बाई पत्नी कान्हा उर्फ कन्हैयालाल जाति मीना निवासी धनवां तहसील दीगोद जिला कोटा
4. ममता पुत्री मांगीलाल पत्नी भैरू प्रकाश मीना निवासी मेहराना तहसील के0 पाटन जिला बूंदी
5. शशि कला पुत्री मांगीलाल पत्नी प्रेमचन्द जाति मीना निवासी रंगपुर, कोटा तहसील, लाडपुरा जिला कोटा
6. पार्वती पुत्री कान्हा उर्फ कन्हैयालाल पत्नी बद्रीलाल जाति मीना निवासी कचोलिया तहसील दीगोद जिला कोटा
7. मनभर पुत्री कान्हा उर्फ कन्हैयालाल पत्नी ओमप्रकाश जाति मीना निवासी खेडा भोपाल तहसील दीगोद जिला कोटा
8. कैलाश बाई पुत्री कान्हा उर्फ कन्हैयालाल पत्नी हंसराज जाति मीना निवासी नीमली तहसील दीगोद जिला कोटा
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88-89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 73/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुददई रुबरु मिनजानिब मुददालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी उभयपक्ष की सहमति के आधार पर अंशतः स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम धनवा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 91 रकबा 0.38

Scanned by CamScanner

हे0, ख0नं0 96 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 544 रकबा 0.71 हे0, ख0नं0 557 रकबा 2.03 हे0 कुल किता 4 रकबा 3.18 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी नं0 2 ता 8 का नाम डिलीट किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 से नियमानुसार पंजीयन शुल्क वसूल कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।" तदनुसार अंतिम डिकी जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 23.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner